राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 37( )परावि/प्र.2/कलिभ/दस्ता.सत्या./2018/2420 जयपुर दिनांकः 24.5.18

—:: परिपत्र ::—

कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 की प्रक्रिया के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2013 में दस्तावेज सत्यापन हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात भी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अनुपस्थित रहे थे, उन्हे वर्ष 2017 में पुनः प्रारम्भ की गई प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन का अवसर नही दिया जायेगा। इसी क्रम में विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 3382 दिनांक 06.09.2017 एवं परिपत्र क्रमांक 1484 दिनांक 02.04.2018 द्वारा दिशा—निर्देश जारी किये गये थे।

कुछ अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में रिट याचिकाऐं दायर की गई, जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए उन्हें दस्तावेज सत्यापन का अवसर दिये जाने के आदेश दिये गये है।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के विरूद्ध विभाग द्वारा दायर डी.बी. सिविल स्पेशल अपील रिट संख्या 550/2018 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम बबीता चौधरी (अन्तर्गत एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 16318/17) में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने पारित निर्णय दिनांक 12.03.2018 में याचिका खारिज कर निम्न निर्देश दिये है :—

"We find no infirmity in the impugned order which only shifts the date of verification of the documents for the reason the writ petitioners were not intimated the date fixed by the Department for verification of the documents. The appeals is dismissed in limine."

उक्त प्रकरण विभागीय स्टेंण्डिग कमेटी की बैठक दिनांक 24.05.2018 में रखा जाने पर कमेटी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना का निर्णय लिया गया है। अतः ऐसे प्रकरण जिनमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम/अंतिम आदेश जारी किया

गया है, उन्हें कंसीडर किया जाना अपेक्षित है। याचिकार्थी के कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 के अन्तर्गत वर्ष 2013 की कटऑफ में स्थान रखने, अन्यथा पात्र होने एवं संबंधित श्रेणी में पद उपलब्ध होने पर चयन/नियुक्ति की कार्यवाही पर नियमानुसार विचार किया जावें।

अतः ऐसे अभ्यर्थियों के प्रकरणों में जिला परिषद द्वारा विभागीय निर्देशों की पालना में डी.बी. अपील दायर की गई है, तो उन्हें संबंधित प्रभारी अधिकारी के माध्यम से वापस लिये जाने की कार्यवाही तत्काल किया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त निर्णयों के क्रम में अविलम्ब पालना की कार्यवाही की जावें, ताकि समस्त न्यायिक/अवमानना प्रकरणों का निस्तारण हो सके।

(कुंजी लाल मीना)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय,ग्रा.वि.पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.पं.राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. उप शासन सचिव (विधि), पंचायती राज विभाग।
5. मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
6. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त
एवं संयुक्त शासन सचिव